राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 709/2025

पूजा अरोडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
3. निदेशक (अराजपत्रित) (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राज. जयपुर।
4. कुसम लता पंवार नर्सिग आफिसर राजकीय उप जिला चिकित्सालय अन्ता, बांरा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धमैंद्र जैन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, कैवियटर

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि यह कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग आफिसर के पद पर नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी दिनांक 15.01.2025 को प्रत्यर्थी क्रमांक 3 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उप जिला चिकित्सालय अन्ता, बांरा में

किया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा की गई थी। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी का स्थानान्तरण निदेशक (अराजपत्रित) (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राज. जयपुर द्वारा किया गया है जो कि न तो अपीलार्थी के नियुक्ति अधिकारी है और न ही अनुशासनात्मक अधिकारी है और इस कारण से वे अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने के लिये सक्षम अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी एक एकल महिला है। अपीलार्थी का दिनांक 05.03.2014 को विवाह विच्छेद हो गया था। अपीलार्थी के एक लडकी है जो एलन में पढाई कर रही है तथा उसकी कक्षा 12 की परीक्षा भी है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार एकल महिला का जिले से बाहर स्थानन्तरण नहीं किया जाना चाहिये। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी कमांक 4 को पदस्थापित किया गया है जो कि उन्हें एकमोडेट किये जाने के लिये किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उप जिला चिकित्सालय अन्ता, बांरा में किया गया। अपीलार्थी का नाम स्थानान्तरण आदेश राजकुमार आर्य के स्थान पर राजकुमार वर्मा दर्शाया गया है। हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान की जानकारी के अभाव में आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो बिना मस्तिष्क के प्रयोग के आलौच्य आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में दो सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (चमांपदह व्तकमत) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण

आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश जारी होने से पहले के स्थान पर पदस्थापित रखा जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य